

**न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 38/2020

दायर दिनांक 03.02.2020

वादी

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल गनी खां उम्र 32 साल जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

1. युसुफ अली पुत्र लाल खां उम्र 51 साल
2. अब्दुल रजाक खान पुत्र लाल खां उम्र 48 साल
3. अब्दुल गफार पुत्र अब्दुल गनी खां उम्र 28 साल
4. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल गनी खां उम्र 22 साल
5. खातुन बेगम पत्नि अब्दुल गनी खां उम्र 60 साल
6. राबिया बानों पुत्री अब्दुल गनी खां उम्र 40 साल
7. हुसनी पुत्री अब्दुल गनी खां उम्र 34 साल
8. जहीरा फातमा पुत्री अब्दुल गनी खां उम्र 24 साल
9. सुफिया पुत्र लाल खां उम्र 50 साल
10. ऐमना पुत्री लाल खां उम्र 47 साल
11. यासीन बानो पुत्री लाल खां उम्र 46 साल  
समस्त जातिगण शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर।
12. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, (राज)।

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो० शरीफ शैरानी वकील वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 28.04.2022

वादी का खातेदारी सरहद खाटू खुद के खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा व वाके सरहद शैरानी आबाद के खसरा नम्बर 124 रकबा 26 बिघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 06.03.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 923 दिनांक 20.04.2022 व 18 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 923 दिनांक 20.04.2022 व 18 दिनांक 18.01.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)




-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद खाटू खुद के खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा व वाके सरहद शैरानी आबाद के खसरा नम्बर 124 रकबा 26 बिघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 923 दिनांक 20.04.2022 व 18 दिनांक 18.01.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 923 दिनांक 20.04.2022 व 18 दिनांक 18.01.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक क्लर्क  
R.A.S.  
(सहायक क्लर्क)  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक क्लर्क  
R.A.S.  
(सहायक क्लर्क)  
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 38/2020

दायर दिनांक 03.02.2020

वादी

1. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल गनी खां उम्र 32 साल जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. युसुफ अली पुत्र लाल खां उम्र 51 साल
2. अब्दुल रजाक खान पुत्र लाल खां उम्र 48 साल
3. अब्दुल गफार पुत्र अब्दुल गनी खां उम्र 28 साल
4. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल गनी खां उम्र 22 साल
5. खातुन बेगम पत्नि अब्दुल गनी खां उम्र 60 साल
6. राबिया बानों पुत्री अब्दुल गनी खां उम्र 40 साल
7. हुसनी पुत्री अब्दुल गनी खां उम्र 34 साल
8. जहीरा फातमा पुत्री अब्दुल गनी खां उम्र 24 साल
9. सुफिया पुत्र लाल खां उम्र 50 साल
10. ऐमना पुत्री लाल खां उम्र 47 साल
11. यासीन बानो पुत्री लाल खां उम्र 46 साल  
समस्त जातिगण शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर।
12. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, (राज)।

बनाम्

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 28.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो० शरीफ शैरानी वकील वादी की तरफ से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद खाटू खुद के खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा व वाके सरहद शैरानी आबाद के खसरा नम्बर 124 रकबा 26 बिघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 923 दिनांक 20.04.2022 व 18 दिनांक 18.01.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 923 दिनांक 20.04.2022 व 18 दिनांक 18.01.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना  
 डीडवाना (नामौर)